न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां (आर.ए.एस.)

अपील सं. 12/2015

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

–अपीलांट

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. दलीप पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़

––रेस्पोडेंट

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक
श्री रवि कुमार गोदारा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 व 2

निर्णय दिनांक: 17.7.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 ने न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ में चक–18 एन.डी.आर. खाता सं. 84/78 प.नं. 138/738 (38) किला नं. 11 ता 25 तथा प.नं. 138/339 (36) किला नं 1 ता 21 कुल 8.729 हैक्टेयर, 1955 से पूर्व की भूमि होने पर खातेदारी लेने हेतु आवेदन पर प्रस्तुत किया जिस पर वाद रिर्पोट पटवारी व तहसीलदार विचारण न्यायालय ने धारा 15 एएए आर.टी एक्ट के तहत निर्णय दिनांक 09.02.11 के तहत भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जिसे अपास्त करवाने हेतु अपीलांट तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेंट व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेंट की तरफ से उनके अभिभाषक उपस्थित आवे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड संलग्न आया। उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विरूद्ध खातेदारी अधिकारी प्रदान किये है। धारा–15 ए.ए.ए. के तहत सीलिंग सीमा तक खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सीलिंग सीमा के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है, रेस्पोडेंट के धारण में अन्य चकों में भूमि है। रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना–पत्र में भी अन्य भूमि का वर्णन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में निर्णय दिनांक 26.02.03 के द्वारा प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया था, इसलिये पुनः खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। रेस्पोडेंट ने अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि पर 1955 से पूर्व कब्जा होना भी साबित नहीं किया है, जबकि खातेदारी लेने हेतु दिनांक 15.10.55 से लगातार कब्जा साबित करना आवश्यक है। मियाद के बिन्दू पर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया, जबकि अपीलांट प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था। अपीलाधीन निर्णय के विधि परीक्षण के पश्चात् नकल प्राप्त करके बिना देरी के अपील पेश की है। अपील में गुणावगुण पर उचित आधार है, अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ की जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर बहस में कथन किया कि अपीलांट ने निर्णय दिनांक 09.02.11 के विरूद्ध अपील दिनांक 01.05.15 को चार वर्ष तीन माह (1550 दिन) बाद प्रस्तुत की है। प्रार्थना–पत्र में देरी का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है अपीलाधीन आदेश अपीलांट द्वारा की गई रिर्पोट के आधार पर किया गया है। जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ द्वारा विधि पारिक्षण के पश्चात् पत्र क्रमांक 3880–82 दिनांक 09.01.14 को अपील हेतु आदेश पारित कर दिया था। अपीलांट ने दिनांक 13.03.15 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया व नकल दिनांक 13.03.15 को प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 16.04.15 को अपील तैयार की है व दिनांक 01.05.15 को अपील पेश की है। अपीलांट ने निर्णय जानकारी के बाद भी अपील मियाद बाहर पेश की है। अपील में गुणावगुण भी कोई आधार नहीं है। अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज की जावे। मियाद पर रेस्पोडेंट ने RRD 2016 पृ. 344, RRT 2011 I पृ. 614 RRT 2014 I पृ. 154 प्रस्तुत किये। गुणावगुण बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट के धारण में चक–18 एन.डी.आर. में कुल 8.729 हैक्टेयर 1955 से पूर्व की कृषि भूमि है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में प्रकरण संख्या 285 दिनांक 14.04.71 गोपाल पुत्र लाधूराम जाति जाट साकिन मुण्डा में बाद जांच दिनांक 27.05.71 को पूर्ण जांच करके राजस्थान उपनिवेशन राज. नहर योजना 1955 से पूर्व के अस्थाई कृष्कों को राजकीय भूमि आवंटन शर्तो 1971 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 15 एएए आर.टी. एक्ट के संशोधन दिनांक 11.11.92 के आधार पर पूर्णतया जांच करके अपीलाधीन आदेश द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये है। रेस्पोडेंट के धारण में सिलिंग सीमा से कम भूमि है, अपील खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया अपील व अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 09.2.11 के विरूद्ध दिनांक 01.05.15 को प्रस्तुत क है। अर्थात अपील चार वर्ष से अधिक समय बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेंट ने उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब व प्रतिउत्तर में शपथ–पत्र प्रस्तुत किये है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र में निर्णय बिना सुने व बिना नोटिस दिये पारित करने का कथन किया है व अपीलाधीन निर्णय का विधि परीक्षण करने के पश्चात् नकल प्राप्त करके अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पत्र जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ ने क्रमांक 3879 दिंनाक 9.01.14 के द्वारा निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत के निर्देश दिये है। जिसकी प्रति अपीलांट को भी दी गई है, परन्तु उक्त आदेश दिनांक 09.01.14 को जारी होने के पश्चात् भी अपील दिनांक 01.05.15 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.07.10 को प्रकरण में विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत करने के पश्चात् पारित किया गया है, जिससे भी यह साबित है कि अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रकरण के सम्बन्ध पूर्ण जानकारी थी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRD 2016 पृ. 344 में राज्य पक्ष को मियाद के बिन्दू पर विशेष छूट देने का प्रावधान न होने का निर्धारण किया है RRT 2011 I पृ. 614 में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी स्पष्ट न करने व प्रकरण में कोई सारभूत कारण व प्रश्न न होने व अपील में गुणावगुण पर आधार न होने पर अपील मियाद पर खारिज करने का निर्धारण किया है व RRT 2014 I पृ. 154 में परिसीमा कानून को कठोरता से लागू करने एवं न्यायालय को परिसीमा विस्तार की शक्ति प्राप्त न होने के निर्धारण किया है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट द्वारा प्रसतुत अपील पूर्णतया मियाद बाहर है व देरी का कोई उचित एवं स्पष्ट कारण प्रार्थना–पत्र में अंकित नहीं है एवं प्रार्थना–पत्र रिकॉर्ड के आधार पर भी साबित नहीं है, परन्तु अपील में मियाद के बिन्दू के साथ–साथ गुणावगुण पर विवेचन करना भी उचित है।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 15 एएए आर.टी. एक्ट के तहत चक 18 एन.डी.आर की 8.729 हैक्टेयर भूमि बाबत् धारा 15 एएए आर.टी. एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व आदेश में वर्णित भूमि के संबंध में तहसीलदार में रिपोर्ट तलब की गई है जिस पर पत्र क्रमांकः 1229 दिनांक 19.7.10 को रिर्पोट भेजी गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली सं. 285 दिनांक 14.04.71 में रेस्पोडेंट के पूर्वज गोपाल पुत्र लाधू को उक्त 8.729 हैक्टेयर भूमि प्री 1955 व पोस्ट 1955 की भूमि को आवंटन शर्ते 1971 के तहत भी खातेदारी अधिकार दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के धारण की भूमि के सम्बन्ध में सिलींग सीमा के सम्बन्ध में भी पूर्णतया जांच की है। अपीलांट ने ऐसा कोई आधार अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे रेस्पोडेंट अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी न हो। भूमि 1955 से पूर्व की भूमि है व अपीलांट की रिर्पोट एंव निर्णय दिनांक 27.5.71 के अनुसार रेस्पोडेंट व उनके पूर्वज लगातार दिनांक 15.10.55 के पूर्व से भूमि पर काबिज है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पूर्णतया जांच कर के विधिवत रूप से धारा 15 एएए आर.टी. एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये है, जिसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं गुणावगुण पर भी खारिज योग्य बनती है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने व गुणावगुण पर भी निराधार होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.7.25 को मेरे द्वारा खुल न्यायालय में सुनाया गया।

17/7/25

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़